



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

KALYANPUR, KANPUR-208024

कल्याणपुर, कानपुर-208024

दिनांक : 08/04/2021

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा.प्रशा./4774/2021

सेवा में,

1. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय-छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी,
सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय परिसर, कानपुर।

विषय :- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के संबंध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के संलग्न पत्र संख्या-856/सत्तर-4-2021 दिनांक 06 अप्रैल, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के संबंध में है।

अतः शासन के संलग्न पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

डॉ० (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. डीन, एकेडमिक्स, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
2. कुलानुशासक, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
3. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के कालेज लागिन पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

LD
कुलसचिव

08/04/2021

Dr. Shubham

ई-मेल

संख्या- 856/सत्तर-4-2021

for circulation to campus &
AR (Admin) affiliating college

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 06 अप्रैल, 2021

विषय:-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को अवस्थापना सुविधाओं/शोध परियोजनाओं के लिए नियमानुसार अनुदान दिये जाने की कार्यवाही की जाती है।

2- अतः आपसे अनुरोध है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार अपने विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु नियमानुसार प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथापरि।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।